मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी अधिनियम, 1996
(1997 की सं. 2)

अधिनियम एवं संविधि

जनवरी 2010 तक अद्यतन

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी अधिनियम, 1996
1997 की संख्या 2

राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय स्थापित करने तथा मुख्य रूप से उर्दू भाषा के प्रचार व विकास तथा उर्दू माध्यम से व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान करने एवं दूरस्थ शिक्षा और उससे संबंधित मुद्दों पर काम करने के लिए संचालन करने हेतु एक अधिनियम[1] बनाया गया।

भारतीय गणतंत्र के 47 [वें] वर्ष में संसद द्वारा निम्न प्रकार से पारित किया गया :-

लघु शीर्षक एवं प्रारंभ

1. (1) इस अधिनियम को मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी अधिनियम 1996 भी कहा जा सकता है।

(2) केन्द्र सरकार संबंधित तिथि पर सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा निर्धारित दिन से उसे प्रवर्तन में लाया जाएगा।

परिभाषा

2. इस अधिनियम और निम्नलिखित संविधि में संदर्भ और आवश्यकतानुसार देखा जाए :-

अ. "शैक्षणिक परिषद" अर्थात विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद ।

आ. "शैक्षणिक स्टाफ" अर्थात कर्मचारी वर्ग की कुछ श्रेणियाँ, जो अध्यादेश द्वारा शैक्षणिक कार्यों के लिए नियुक्त किये गये हों।

इ. "अध्ययन बोर्ड" अर्थात विश्वविद्यालय की अध्ययन समिति।

ई. "कुलाधिपति", "कुलपति" एवं "सम-कुलपति" अर्थात क्रमशः विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति एवं सम-कुलपति।

उ. "कोर्ट" अर्थात विश्वविद्यालय का कोर्ट।

ऊ. "विभाग" अर्थात अध्ययन के विभाग, जिसमें अध्ययन केन्द्र भी शामिल हैं।

ए. दूरस्थ शिक्षा पद्धति अर्थात किसी भी संचार माध्यम जैसे प्रसारण, टेलिविजन पर प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम,संगोष्ठियों, संपर्क कक्षा कार्यक्रमों या किन्ही दो के संयुक्त प्रयोग से शिक्षा उपलब्ध कराना।

[1] संसद अधिनियम संख्या 2, 1997 को 8 जनवरी 1997 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गयी तथा उसको भारतीय राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। उसी दिन 8 जनवरी 1997 की तिथि के भाग दो के संभाग 1 में । इसको एफ 27-6/97 डेस्क (यू) के अंतर्गत विशेष रूप से भारतीय राजपत्र के भाग 2, संभाग 3- उप संभाग (2) में 1 जनवरी 1998 को प्रकाशित होने के बाद जनवरी माह 1998 के 9 [वें] दिन अमल में लाया गया था।

ऐ) कर्मचारी अर्थात - विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति और विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं अन्य कर्मी।

ओ) कार्यकारी परिषद- अर्थात विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद।

औ) वित्तीय समिति- अर्थात विश्वविद्यालय की वित्तीय समिति।

क) हॉल- विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए अनोखा आवास अथवा कार्पोरेट शैली का स्थान अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित संस्थान।

ख) संस्थान-विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान।

ग) मान्यता प्राप्त संस्थान- विश्वविद्यालय द्वारा उच्च शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान।

घ) नियम- इस अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्त्तन के समय विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा नियम।

ङ) स्कूल-विश्वविद्यालय का अध्ययन स्कूल।

च) संविधि एवं अध्यादेश- अर्थात समयानुसार प्रवर्तन के लिए, विश्वविद्यालय का कानून एवं अध्यादेश।

छ) विश्वविद्यालय के शिक्षक- अर्थात विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी संस्थान और अध्यादेश द्वारा बनाए गये शिक्षक, प्रोफेसर, रीडर एवं व्याख्याता।

ज) विश्वविद्यालय- अर्थात विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एवं संचालित मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी।

विश्वविद्यालय की स्थापना

3. (1) "मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी " के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय हैदराबाद होगा।

(3) प्रथम कुलाध्यक्ष और प्रथम कुलपति तथा प्रथम कोर्ट सदस्य, कार्यकारिणी परिषद, एवं शिक्षा परिषद तथा इसके बाद होने वाले सभी इस तरह के अधिकारी व सदस्य, कितने दिन वे इस पद पर कार्य करेंगे, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के नाम से एक कार्पोरेट समिति का गटन किया गया है।

(4) विश्वविद्यालय का स्थाई अनुक्रमण एवं सामान्य मोहर और इसी नाम पर उसकी कार्रवाई होगी।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

4. मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की स्थापना उर्दू भाषा के प्रचार एवं विकास तथा उर्दू माध्यम से व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने, उर्दू माध्यम से नियमित एवं दूरस्थ दोनों पद्धति से तकनीकी, व्यवसायिक एवं उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक अधिकाधिक लोगों तक पहुंचना व महिला शिक्षा पर ज़ोर देना है।

विश्वविद्यालय के अधिकार

5. विश्वविद्यालय के निम्न क्षेत्राधिकार होंगे :-

(i) विश्वविद्यालय के उद्देश्यानुसार प्रासंगिक, शैक्षणिक क्षेत्र में शोध हेतु आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना।

(ii) विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्य के अतंर्गत किसी व्यक्ति को परीक्षा एवं मूल्यांकन तथा जांच पद्धति द्वारा डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र एवं अन्य शैक्षणिक पारंगत्ता प्रदान कर सकता है और किसी कारणवश डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र एवं अन्य शैक्षणिक पारंगत्ता रद्द भी कर सकता है।

(iii) अतिरिक्त अध्ययन, प्रशिक्षण एवं विस्तारित सेवाओं का संचालन एवं आयोजन करना।

(iv) संविधि द्वारा निर्धारित आधार पर मानद डिग्री एवं अन्य उपाधियाँ प्रदान करना।

(v) प्रोफेसर (आचार्य), रीडर, व्याख्याता एवं अन्य अध्यापन अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित शैक्षणिक स्तरों के पदों की स्थापना एवं प्रोफेसर, रीडर, व्याख्याता एवं अन्य अध्यापन अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित शैक्षणिक स्तरों के पदों पर नियुक्ति करना।

(vi) अन्य विश्वविद्यालयों या संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों को कुछ विशेष समयावधि के लिए विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त करना।

(vii) प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय एवं अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्ति।

(viii) अन्य विश्वविद्यालयों, प्राधिकारी, कुछ क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों के साथ सहयोग, समन्वय एवं सहयोजन करना जैसा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य है।

(ix) केन्द्र सरकार की मान्यता से विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश और देश के बाहर ऐसे केन्द्रों एवं प्रयोगशालाओं की स्थापना करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्य पूर्ति के दृष्टिकोण से आवश्यक हो।

(x) अध्येतावृत्ति (फेलोशिप), छात्रवृत्तियाँ, पदक एवं पुरस्कार को आरंभ करना एवं प्रदान करना।

(xi) संस्थान एवं हॉल का संचालन।

(xii) शोध एवं अनुसंधान के लिए प्रावधान बनाना इस उद्देश्य के तहत विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुसार अन्य संस्थानों एवं औद्योगिक संस्थानों के साथ प्रबंध करना।

(xiii) शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) पाठ्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन।

(xiv) विश्वविद्यालय की इच्छानुसार महिला छात्राओं के लिए आवास, अनुशासन एवं शिक्षा के लिए प्रबंध करना।

(xv) अनुबंध पर अथवा अतिथि एवं सेवामुक्त प्रोफेसर, परामर्शदाताओं, विद्वानों तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति में योगदान करें।

(xvi) संविधि के अनुसार, विभागों को स्वायत्तता प्रदान करना।

(xvii) विश्वविद्यालय में प्रवेश के मानकों को निर्धारित करने के लिए, जिसमें परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य विधि भी शामिल हो सकती है।

(xviii) फीस ,अन्य प्रभार एवं भुगतान प्राप्त करना।

(xix) विश्वविद्यालय के छात्रावासों का निरीक्षण करना एवं स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण की व्यवस्था ।

(xx) सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें रखना उनकी आचरण संहिता सहित।

(xxi) विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों में अनुशासन का पालन, एवं आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्रानुसार, अनुशासनात्मक कार्रवाई करना।

(xxii) कर्मचारियों के कल्याण एवं सामान्य स्वास्थ के लिए आवश्यक प्रबंध करना।

(xxiii) चंदा, दान एवं भेंट आदि प्राप्त करना, विश्वविद्यालय के लिए धर्मस्व संपत्तियों सहित चल एवं अचल संपत्तियों को प्राप्त, प्रबंध एवं निपटारा करना।

(xxiv) विश्वविद्यालय की परिसंपत्तियों की रक्षा हेतु केन्द्र सरकार से अनुमति व आवश्यक धनराशि प्राप्त करना।

(xxv) उचित दूरस्थ शिक्षा उपलब्ध कराना।

(xxvi) अध्यादेश में दर्शाए गये मानकों के अनुसार दूरस्थ शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अध्ययन केन्द्रों का संचालन अथवा मान्यता प्रदान करना।

(xxvii) विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के सहयोग से दूरस्थ शिक्षा पद्धति पर शिक्षा के साधन उदाहरण- फिल्म, कैसेट,टेप,वीडियों कैसेट एवं अन्य सॉफ्टवेयर तैयार करना।

(xxviii) उर्दू के प्रचार प्रसार के लिए एक आधार बनाते हुए उचित योजनाओं को तैयार कर उन पर अमल करना ताकि विश्वविद्यालय के उद्देश्यानुसार, शिक्षा में विशेष तत्वों के साथ निरंतरता बनाए रखना। तथा

(xxix) इसी प्रकार की अन्य गतिविधियाँ, जो अनिवार्य हों, सभी प्रासंगिक या हितकर या किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति पर।

क्षेत्राधिकार (कार्यक्षेत्र)

6. विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत है।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों, जातियों एवं उपजातियों के लिए खोला गया

7. विश्वविद्यालय सभी के लिए खुला है, चाहे व्यक्ति किसी भी जाति, लिंग, वर्ग, रंग का क्यों न हो और विश्वविद्यालय शिक्षकों एवं अन्य पदों पर नियुक्ति व विश्वविद्यालय में प्रवेश दिये गये विद्यार्थी के लिए ऐसी कोई पद्धति नहीं अपनाएगा, चाहे वह किसी भी धर्म अथवा व्यवसाय विश्वास रखता हो वह विश्वविद्यालय की सुविधाओं से लाभान्वित होगा, तथा नियमों पर अमल करेगा।

विश्वविद्यालय में महिलाओं, विकलांगों अथवा समाज के कमज़ोर वर्गों से संबंधित व्यक्ति को रोजगार या प्रवेश प्राप्त करने अथवा विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति में विशेष प्रावधान किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी।

कुलाध्यक्ष

8. (1) भारत के राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगें।

(2) कुलाध्यक्ष विश्वविद्यालय के कार्य और प्रगति की समीक्षा हेतु समय-समय पर किसी एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते है। संस्थान का प्रबंधन भी उसमें शामिल है, और उसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने, तथा रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद कुलाध्यक्ष कुलपति द्वारा कार्यकारी परिषद के विचार जानने के बाद कोई कार्रवाई कर सकते हैं और रिपोर्ट में दर्ज मामले के संबंध में कोई मार्गदर्शन जारी कर सकते हैं और विश्वविद्यालय के लिए अनिवार्य होगा कि उन निर्देशों पर अमल किया जाए ।

(3) कुलाध्यक्ष अपने द्वारा नियुक्त व्यक्ति, व्यक्तियों द्वारा विश्वविद्यालय, उसके भवनों प्रयोगशालाओं, उपकरणों तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी संस्थानों साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं, शिक्षा एवं अन्य कार्यों का निरीक्षण करने का अधिकार रखते हैं और विश्वविद्यालय के प्रशासन, या वित्त अथवा विश्वविद्यालय के किसी संस्थान के किसी मामले में आवश्यकता पड़ने पर जांच का आदेश भी दे सकता हैं।

(4) कुलाध्यक्ष उप-नियम(3) के अनुसार विश्वविद्यालय प्रत्येक मामले में जांच अथवा तहक़ीक़ात के उद्देश्य से नोटिस जारी करेंगे और विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि वे संबंधित मामलों में आवश्यक क्रियान्वयन के लिए कुलाध्यक्ष को प्रतिनिधित्व करें।

(5) विश्वविद्यालय द्वारा यदि कोई ज्ञापन दिया जाता है तो, उप नियम(3) के अनुसार, कुलाध्यक्ष जांच करने के निर्देश दे सकते हैं।

(6) कुलाध्यक्ष द्वारा किसी कारण कोई जांच अथवा परीक्षण कराया जाता है तो उस जांच और परीक्षण के समय विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति को उपस्थित रहने के लिए नियुक्त कर सकता हैं।

(7) विश्वविद्यालय अथवा उसके द्वारा संचालित किसी संस्थान के संबंध में यदि कोई जांच अथवा परीक्षण किया जाता है तो कुलाध्यक्ष उससे संबंधित परिणामों और सुझावों तथा कार्रवाई से संबंधित दिशानिर्देश कुलपति को दे सकते हैं और कुलपति उन सुझावों अथवा कार्रवाई से संबंधित कुलाध्यक्ष के विचार कार्यकारी समिति के समक्ष रखेंके ताकि उस पर उचित कार्रवाई की जा सके।

(8) कुलाध्यक्ष द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई, यदि कोई हो तो उसके बारे में कार्यकारी परिषद को कुलपति द्वारा सूचित किया जाएगा, ताकि प्रस्तावित कार्रवाई या जांच अथवा परीक्षण के परिणामों के बाद कार्यवाही की जा सके।

(9) यदि कार्यकारी परिषद न हो तो कुलाध्यक्ष उचित समयावधि में संतोषपूर्ण ढंग से कार्यकारी परिषद द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन अथवा स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए उचित कार्रवाई के निर्देश देंगे और कार्यकारी परिषद उस निर्देश पर अमल करेगी।

(10) इस नियम के प्रावधानों को छोडकर बिना पूर्वाग्रह के, कुलाध्यक्ष लिखित अथवा किसी वार्षिक बैठक में निर्देश दे सकते हैं, जो विश्वविद्यालय के अधिनियम, संविधि अथवा अध्यादेश के साथ संगत न हो :

बताया गया है कि इस तरह का कोई आदेश दिये जाने से पूर्व, वे कुलसचिव को बुला कर पूछेंगे कि ऐसा निर्देश क्यों न जारी किया जाए, और यदि कोई कारण उचित समयावधि में बताया गया, तो वे उसी को स्वीकृत करेंगे।

(11) कुलाध्यक्ष को संविधि के अंतर्गत बताये गये अन्य अधिकार भी प्राप्त होंगे।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

9. विश्वविद्यालय के अधिकारी निम्न प्रकार होंगे :-

(1) कुलाधिपति
(2) कुलपति
(3) सम-कुलपति
(4) संकाय के डीन
(5) कुलसचिव
(6) वित्त अधिकारी
(7) पुस्तकालयाध्यक्ष; एवं

संविधि में घोषित किए गए अन्य अधिकारियों को विश्वविद्यालय का अधिकारी माना जाएगा।

कुलाधिपति

10. (1) संविधि नियमों के अनुसार कुलाध्यक्ष कुलाधिपति की नियुक्ति करेंगे।
(2) कुलाधिपति विश्वविद्यालय के प्रमुख के रूप में अपने कार्यालय का अधिकार संभालेंगे।
(3) कुलाधिपति, यदि उपस्थित होंगे, उपाधियाँ प्रदान करने के लिए आयोजित दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

कुलपति

11. (1) कुलपति की नियुक्ति संविधि में दर्शाए गए नियमों और अवधि के अनुसार सेवा शर्तों के आधार पर की जाएगी।
(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी होगा और सामान्य निरीक्षण करेगा तथा विश्वविद्यालय के संचालन पर नियंत्रण रखेगा एवं विश्वविद्यालय के अन्य सभी प्राधिकारी के लिए प्रभावी निर्णय लेगा।

(3) कुलपति यदि चाहें तो किसी मुद्दे पर तत्काल निर्णय लिया जाए तो वह ऐसा करते हुए विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकारी को इस कार्य के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार प्राधिकारी को सूचित कर निर्णय लेने के अधिकारी होंगे।

प्रावधान रखा गया है कि यदि संबंधित प्राधिकारी इस संबंध में सूचना के अनुसार कार्य नही करता तो इस संबंध में कुलाध्यक्ष को सूचित किया जाएगा और उनका निर्णय अंतिम होगा।

यह भी प्रावधान होगा कि यदि कोई व्यक्ति कुलपति द्वारा की गयी कार्रवाई से पीड़ित है, तो वह इस उप-नियम के अनुसार इस प्रकार के निर्णय के विरुद्ध, उसे दी गयी सूचना की तिथि से तीन माह के दौरान कार्यकारिणी परिषद से अपील कर सकता है, कार्यकारिणी परिषद उस निर्णय में सुधार कर सकती है या फिर कुलपति की कार्रवाई के खिलाफ भी निर्णय दे सकती है।

(4) यदि उसे पता चले कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा संबंधित प्राधिकारी को अधिनियम, संविधि और अध्यादेश के अनुसार प्राप्त प्रावधानों से हट कर निर्णय लिया गया है और यह निर्णय विश्वविद्यालय के हित में भी नहीं है तो कुलपति संबंधित प्राधिकारी को इस निर्णय या फिर उसके कुछ अंश में साठ दिन के भीतर सुधार करने को कहेगा और यदि वह साठ दिन की उस अवधि में ऐसा नहीं कर पाए तो इस संबंध में कुलाध्यक्ष को सूचित किया जाएगा और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा।

(5) संविधि और अध्यादेश के अनुसार प्राप्त कुछ अन्य अधिकारों और कार्रवाई के अधिकार भी कुलपति को प्राप्त होंगे।

सम-कुलपति **12.** संविधि में दर्शाए गए नियमों के अनुसार, कर्तव्यों का पालन करने तथा प्राप्त अधिकारों का उपयोग करने अपने उत्तरदायित्व निभाने के लिए सम-कुलपति की नियुक्ति होगी।

संकाय के डीन **13.** संविधि में दर्शाए गए नियमों के अनुसार, कर्तव्यों का पालन करने तथा प्राप्त अधिकारों का उपयोग करने अपने उत्तरदायित्व निभाने के लिए हर एक संकाय के डीन की नियुक्ति होगी।

कुलसचिव **14.** (1) कुलसचिव की नियुक्ति संविधि में दर्शाए गए मानकों के अनुसार की जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय की ओर से किये जाने वाले समझौतों, दस्तावेज़ों तथा रिकार्ड को वास्तविक बनाने का अधिकार कुलसचिव को होगा और संविधि में दर्शाए गए संवंधित अधिकार और उत्तरदायित्व उन लागू होंगे।

वित्त अधिकारी **15.** वित्त अधिकारी की नियुक्ति संविधि में दर्शाए गए मानकों के अनुसार की जाएगी और संविधि में दर्शाए गए संबंधित अधिकार और उत्तरदायित्व उन पर लागू होंगे।

पुस्तकालयाध्यक्ष **16.** पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति संविधि में दर्शाए गए मानकों के अनुसार की जाएगी और संविधि में दर्शाए गए संबंधित अधिकार और जिम्मेदारियाँ उन पर लागू होंगे।

अन्य अधिकारी **17.** अन्य अधिकारियों की नियुक्ति और अधिकार संविधि में दर्शाए गए मानकों के अनुसार होंगे।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

18. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्न होंगे :-

(1) न्यायालय (कोर्ट);

(2) कार्यकारी परिषद;

(3) शैक्षणिक परिषद;

(4) अध्ययन बोर्ड;

(5) वित्त समिति; एवं

(6) इसी तरह के अन्य प्राधिकारी जिन्हें संविधि के अनुसार, विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के रूप में घोषित किया गया हो।

न्यायालय(कोर्ट)

19. (1) कोर्ट का गठन और उसके कार्यालय की अवधि संविधि के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(2) इस अधिनियम में शामिल प्रावधानों के अनुसार कोर्ट के अधिकार एवं कार्य निम्न प्रकार हैं :

(क) विश्वविद्यालय की नीतियों एवं कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा करना तथा उनमें सुधार और विश्वविद्यालय के विकास के लिए सुझाव देना।

(ख) कुलाध्यक्ष को उनके सामने प्रस्तुत संबंधित मामले में सुझाव देना।

(ग) इसी प्रकार के अन्य कार्य जो उन्हें संविधि के अनुसार दिये जाए।

कार्यकारिणी परिषद

20. (1) कार्यकारी परिषद विश्वविद्यालय की प्रधान कार्यकारी निकाय होगी।

(2) कार्यकारिणी परिषद का गठन, उसके कार्यालय की अवधि एवं उसके अधिकार संविधि के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

शैक्षणिक परिषद

21. (1) शैक्षणिक परिषद विश्वविद्यालय की प्रधान शिक्षा निकाय होगी तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ,संविधि एवं अध्यादेश के अनुसार विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों में समन्वय करेगी तथा उनके अमलावरी पर सामान्य निरीक्षण भी रखेगी।

(2) शैक्षणिक परिषद का गठन, उसके कार्यालय की अवधि और उसके अधिकार संविधि के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

अध्ययन समिति

22. अध्ययन बोर्ड का गठन, उसके अधिकार और कार्य संविधि के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे।

वित्तीय समिति

23. वित्तीय समिति का गठन, उसके अधिकार और कार्य संविधि के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे।

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

24. अन्य प्राधिकारियों की नियुक्ति, अधिकार एवं कार्य, जिन्हें संविधि के अनुसार विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के रूप में घोषित किया गया हो, संविधि के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

संविधि बनाने का अधिकार

25. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, संविधि निम्न में से सभी अथवा किसी एक के लिए उपलब्ध होगी :

(क) विश्वविद्यालय के अन्य निकायों एवं प्राधिकारियों का गठन, अधिकार एवं कार्य समय-समय पर निर्धारित किए जा सकते है ;

(ख) उक्त प्राधिकारियों एवं समितियों के सदस्यों की नियुक्ति तथा उनके पदों पर बने रहने, रिक्त स्थानों पर भर्ती एवं प्राधिकारियों एवं समितियों से संबंधित मामले आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, अधिकार एवं उत्तरदायित्व एवं उनका पारिश्रमिक;

(घ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक संकाय तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं उनका पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा शर्तें;

(ङ) संयुक्त परियोजना पर विशिष्ट अवधि तक कार्य करने हेतु अन्य विश्वविद्यालय या संगठन के साथ कार्यरत शिक्षक एवं अन्य शैक्षणिक संकाय की नियुक्ति ;

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें साथ ही पेन्शन, बीमा एवं भविष्य निधि के प्रावधान तथा सेवा से हटाने व अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के मानक ;

(छ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा की वरिष्ठता को संचालित करने के सिद्धांत ;

(ज) कर्मचारी व विद्यार्थियों तथा विश्वविद्यालय के बीट किसी विवाद पर निपटारा प्रक्रिया ;

(झ) किसी कर्मचारी या विद्यार्थी द्वारा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी के खिलाफ कार्यकारी परिषद के सामने अपील की प्रक्रिया ;

(ञ) किसी विभाग या संस्थान पर स्वायत्त स्थिति प्रदान करना ;

(ट) संकायों, विभागों, केन्द्रों, हॉल एवं संस्थाओं की स्थापना एवं उन्हें बंद करना ;

(ठ) मानद उपाधियों को प्रदान करना ;

(ड) उपाधियाँ, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र एवं अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापिस लेना ;

(ढ) फेलोशिप, छात्रवृत्ति एवं पदक एवं पुरस्कारों की स्थापना ;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों की शक्तियों का प्रत्यायोजन करना ;

(त) कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना, तथा

(थ) अधिनियम एवं संविधि में दर्शाए गए अन्य सभी मामले।

संविधि कैसे बनाई जाए

26.(1) प्रथम संविधि अनुसूची में निर्धारित किए गए है।

(2) कार्यकारी परिषद उप-नियम (1) के अनुसार समय-समय पर नए एवं अतिरिक्त नियम बनाना या संविधि में संशोधन या सुधार करना :

निर्देशित किया गया है कि कार्यकारी परिषद ऐसे कोई नियम, तथा संशोधन या निरस्तीकरण नहीं करेगी, जिसका प्रभाव विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी के अधिकार, स्थिति या नियुक्ति की संविधि पर पड़ता हो, संबंधित प्राधिकारी द्वारा यदि लिखित रूप से इस संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रस्ताव दिया जाता है तथा इस संबंध में दिए गए मत पर कार्यकारी परिषद द्वारा विचार किया जाएगा :

साथ ही यह भी बताया गया है कि कार्यकारी परिषद धारा 25 के नियम (जे) एवं (के) के अंतर्गत कुलाध्यक्ष की पूर्वगामी अनुमति के बिना संविधि में किसी भी प्रकार का संशोधन, अथवा निरस्तीकरण नहीं करेगी।

(3) संविधि में किसी भी नये प्रकार के संकलन अथवा संशोधन अथवा निरस्तीकरण को कुलाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी, जो वे अपने पर्यवेक्षण के बाद, यदि कोई हो तो, स्वीकृति या बिना स्वीकृति या कार्यकारिणी परिषद को सिफारिश कर सकते है।

(4) नयी संविधि अथवा संविधि में किसी भी प्रकार का संशोधन कुलाध्यक्ष की अनुमति के बिना अमान्य होगा।

(5) यद्यपि उप-नियम में यह दर्शाया गया है कि अधिनियम के लागू होने के तत्काल तीन वर्षों की अवधि के दौरान उप-नियम(1) में दर्शाए अनुसार कुलाध्यक्ष संविधि में नया संकलन अथवा अतिरिक्त संशोधन अथवा निरस्तीकरण कर सकते हैं।

उक्त तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने पर उस तिथि के एक वर्ष के दौरान संविधि पर विस्तार से कुछ नया कार्य करना है तो कुलाध्यक्ष इसके लिए अनुमति हेतु उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रख सकते है।

(6) यद्यपि उप-नियम में यह दर्शाया गया है कि कुलाध्यक्ष किसी विशेष मामले में प्रावधान बनाने हेतु विश्वविद्यालय को निर्देश दे सकते हैं और यदि कार्यकारिणी परिषद उस निर्देश को 60 दिन में लागू करने में अक्षम होती है तब कुलाध्यक्ष यदि कोई कारण हो तो, उन कारणों को ध्यान में रखते हुए, उन निर्देशों को अमल में न लाने संबंधि कार्यकारिणी परिषद द्वारा प्रस्तुत अक्षमता जानने के बाद कुलाध्यक्ष उचित संशोधन कर सकते हैं।

अध्यादेश में दिये गए अधिकार

27.(1) अधिनियम के प्रावधानों के उद्देश्य और नियम, अध्यादेश द्वारा निम्न में से सभी या कोई एक मामला उपलब्ध कराया जा सकता है, विशेषकर :-

(क) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश एवं उनके पंजीकरण से जुडे कार्य ;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्रों के अध्ययन पाठ्यक्रम ;

(ग) शिक्षा एवं परीक्षा का माध्यम ;

(घ) उपाधियाँ, डिप्लोमा,प्रमाणपत्र एवं अन्य शैक्षणिक विशिष्ठताओं, अर्हताओं को प्रदान करना तथा उसके लिए संबंधित अनुमतियाँ एवं अनुदान प्राप्ति ;

(ङ) विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रमों एवं परीक्षाओं में प्रवेश, विश्वविद्यालय की उपाधियों एवं डिप्लोमा हेतु शुल्क वसूल करना ;

(च) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पदक एवं पुरस्कार से संबंधित शर्तें ;

(छ) परीक्षाओं का आयोजन, जिसमें परीक्षा समितियों, परीक्षकों एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति से संबंधित अवधि एवं मानक बनाना शामिल है ;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रावासों में रहकर पढ़ने वाले छात्रों हेतु शर्तें ;

(झ) विशेष प्रबंध, यदि कोई, जो महिला छात्राओं के छात्रावास, शिक्षण एवं अनुशासन के लिए बनाए गए हो तथा महिलाओं के अध्ययन के लिए विशेष पाठ्यक्रमों का निर्धारण करना ;

(ञ) उन कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक जिनके लिए संविधि में प्रावधान किया गया है ;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्ड, विशेष केन्द्रों, विशेष प्रयोगशालाओं एवं अन्य समितियों की स्थापना ;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थानों एवं अन्य एजेन्सियों तथा भारत या विदेशों में स्थित शैक्षणिक संस्थाओं के साथ सहयोग एवं समन्वय के मानक ;

(ड) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सुधार के लिए अनिवार्य समझे जाने पर किसी अन्य निकाय का सृजन, संरचना किया जाना ;

(ढ) शिक्षकों एवं शैक्षणिक संकाय से संबंधित सेवा शर्तें, जिनका उल्लेख संविधि में नहीं किया गया है ;

(ण) शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक संकाय से संबंधित सेवा की शर्तें, जिनका उल्लेख संविधि में नहीं किया गया है ;

(त) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित संस्थानों का प्रबंधन ;

(थ) कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण हेतु तंत्र की स्थापना ; तथा

(द) वे सभी मामले जो अधिनियम एवं संविधि द्वारा अध्यादेश में उपलब्ध कराए गए है।

(2) प्रथम अध्यादेश केन्द्र सरकार की अनुमति से कुलपति द्वारा बनाया जाएगा और संविधि के मानकों के अनुसार उसमें कार्यकारी परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधन एवं निरस्तीकरण किया जा सकेगा।

विनियम

28. विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम, संविधि एवं अध्यादेश को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के संचालन तथा समितियों के व्यवहार और उनकी नियुक्ति, जिसका उल्लेख अधिनियम, संविधि तथा अध्यादेश में नहीं किया गया है, संविधि के मानकों के अनुसार नियम बनाये जा सकते है।

वार्षिक प्रतिवेदन

29.(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कार्यकारी परिषद के मार्गदर्शन में तैयार किया जाएगा, जिसमें अन्य मामलों के साथ-साथ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विश्वविद्यालय द्वारा किये जा रहे कार्यों का उल्लेख होगा, जो कुलाध्यक्ष को संविधि द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत तैयार वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति शीघ्र अति शीघ्र केन्द्र सरकार को जमा की जाएगी, ताकि संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जा सके।

वार्षिक लेखा

30. (1) वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र(बैलन्स शीट) विश्वविद्यालय द्वारा कार्यकारी परिषद के मार्गदर्शन में वर्ष में एक बार बनाया जाएगा और अंतराल 15 महीने से अधिक का नहीं रहेगा, जिसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा लेखा परीक्षा किया जाएगा।

(2) वार्षिक लेखा की एक प्रति लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ कार्यकारी परिषद की टिप्पणियों सहित यदि कोई हो तो , कुलाध्यक्ष को भेजी जाएगी।

(3) कुलाध्यक्ष द्वारा वार्षिक लेखा पर की गई किसी भी प्रकार की टिप्पणी को कार्यकारी परिषद की दृष्टि में लायी जाएगी तथा यदि कोई हो तो कार्यकारी परिषद के उस पर विचार कुलाध्यक्ष के समक्ष रखे जाएंगे।

(4) कुलाध्यक्ष को जमा की गई वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति शीघ्र अति शीघ्र केन्द्र सरकार को भी जमा की जाएगी, ताकि संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जा सके।

(5) लेखा-परीक्षा किया गया वार्षिक लेखा संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के बाद भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

31.(1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति लिखित समझौते के आधार पर होगी, जो विश्वविद्यालय द्वारा बनाया जाएगा, जिसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय एवं कर्मचारी के बीच समझौते पर किसी प्रकार का विवाद हो तो कर्मचारी के अनुरोध पर उसे चर्चा के लिए अधिकरण(ट्रिब्यूनल) को भेजा जाएगा जो कार्यकारी परिषद द्वारा एक सदस्य, कर्मचारी द्वारा मनोनीत एक सदस्य एवं कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक अधिकारी पर आधारित होगा।

(3) अधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और इस निर्णय के विरुद्ध किसी प्रकार का मामला किसी अन्य अदालत में नहीं किया जा सकेगा।

(4) कर्मचारी द्वारा उप-नियम(2) के अंतर्गत दाखिल प्रत्येक अनुरोध मध्यस्थता अधिनियम 1940 के नियमों के अनुसार पंच-निर्णय के लिए दाखिल समझा जाएगा।

(5) अधिकरण के संचालन की प्रक्रिया संविधि में दर्शाए अनुसार होगी।

छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई में अपील एवं मध्यस्थता की प्रक्रिया

32.(1) किसी विद्यार्थी अथवा परीक्षा लिखने वाले उम्मीदवार का नाम, जिसे एक वर्ष के लिए परीक्षा से निकाल दिया गया हो, अनुशासन समिति या परीक्षा समिति के प्रस्ताव पर, विश्वविद्यालय के पंजीकरण से कुलपति के आदेश पर हटा दिया जाता है तो, यह देश मिलने के 10 दिन के भीतर वह कार्यकारी परिषद के सामने अपील कर सकता है और कार्यकारी परिषद मामले के अनुसार, कुलपति या समिति के आदेश को यथावत रख सकती है अथवा उसमें संशोधन कर सकती है।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के बाद यदि कोई विवाद होता है तो उस विद्यार्थी का अनुरोध नियम 31 के उपनियम (2), (3), (4) एवं (5) के प्रावधानों के अन्तर्गत वह मध्यस्थता ट्रिब्यूनल से संपर्क कर सकता है।

अपील का अधिकार

33. विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा संचालित किसी भी संस्थान का प्रत्येक कर्मचारी, या छात्र इस अधिनियम के अनुसार, संविधि में शामिल अवधि के भीतर विश्वविद्यालय प्राधिकारी एवं संस्थान से संबंधित किसी भी अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपनी अपील कार्यकारी समिति को प्रस्तुत करने का अधिकार रखता है। कार्यकारी परिषद उक्त आदेश को यथावत रख सकती है अथवा उसमें संशोधन कर सकती है।

भविष्य एवं पेंशन निधि

34. (1) विश्वविद्यालय ने कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए भविष्य एवं पेंशन निधि या इस तरह की बीमा निधियाँ उपलब्ध कराई हैं, जो नियमों के अनुसार ठीक है और संविधि के अनुसार निर्धारित शर्तों के उद्देश्य की पूर्ति करती हैं।

1925 की संख्या 19

(2) जहां भविष्य निधियों एवं पेंशन निधियों का गठन किया गया है, केन्द्र सरकार भविष्य निधि अधिनियम 1925 के प्रावधानों के अन्तर्गत इसको सरकारी भविष्य निधि के अंतर्गत घोषित कर सकती है।

विश्वविद्यालय प्राधिकारी एवं समितियों के गठन का विवाद

35. किसी व्यक्ति के विश्वविद्यालय प्राधिकारी अथवा विश्वविद्यालय की किसी समिति के सदस्य के चयन, नियुक्ति से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो मामला कुलाध्यक्ष के समक्ष रखा जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

समितियों का गठन

36. जब विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी अधिनियम एवं संविधि के अनुसार समिति नियुक्त करता है, वह समिति प्राधिकारी के सदस्यों पर आधारित होगी या फिर किसी अन्य को उसमें लिया जाएगा या प्राधिकारी उचित समझेगा।

आकस्मिक रिक्तियों की भर्ती

37. विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी (पदेन सदस्यों के अलावा) के सदस्यों या विश्वविद्यालय की अन्य समिति के बीच सभी आकस्मिक रिक्तियां शीघ्र अति शीघ्र संबंधित नियुक्ति समिति द्वारा भरे जाएंगे। विश्वविद्यालय के प्राधिकारी अथवा समिति का कोई भी नियुक्त, चयनित या सहयोजित सदस्य का पद रिक्त होता है तो उसके लिए निर्धारित शेष अवधि के लिए प्राधिकारी अथवा समिति द्वारा किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

विश्वविद्यालय प्राधिकारियों अथवा समितियों की कार्यवाही रिक्तियों द्वारा अमान्य नहीं होगी

38. विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी अथवा अन्य समिति सदस्यों के रिक्ति अथवा रिक्तियों के कारण कोई भी कार्यवाही अमान्य मानी जाएगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण

39. अधिनियम, संविधि या अध्यादेश के प्रावधान का अनुसरण करते हुए सद्भाव कार्य के लिए विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

विश्वविद्यालय के रिकोर्डों की प्रमाणीकरण के माध्यम

1872 की सं.1

40. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति के किसी भी रसीद, आवेदन, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पंजिका में प्रवेश की एक प्रति यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित की जाती है तो वह रसीद, आवेदन, नोटिस, आदेश, कार्यवाही, संकल्प, प्रस्तुत दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा या संचालित पंजिका में प्रवेश को प्रथम दृष्टया साक्ष्य माने जाएंगे। यद्यपि लेन-देन यदि मूल प्रति के साथ पेश किया जाए तो वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 या समय-समय पर लागू अन्य नियमों के अनुसार साक्ष्य के तौर पर पेश की जाएगी।

समस्याओं के निपटारे के लिए अधिकार

41. (1) इस अधिनियम के प्रावधान को प्रभावी बनाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो भारत सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में आदेश जारी किया जाएगा कि अधिनियम के प्रावधान की विसंगति को दूर करने के लिए प्रावधान लाया जाए इस तरह उस बाधा को अनिवार्य रूप से दूर किया जाएगा ;

अधिनियम के लागू होने के तीन वर्ष के बाद इस तरह के आदेश जारी नही किए जाएंगे।

(2) इस नियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रत्येक आदेश शीघ्र अति शीघ्र संसद के सामने पेश किया जाएगा।

अस्थाई प्रावधान

42. यद्यपि स अधिनयम एवं संविधि में यह सब सम्मिलित है :-

(क) प्रथम कुलाधिपति, कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाएंगे तथा यह अधिकारी पाँच वर्ष के लिए इस पद पर रहेंगे ;

(ख) प्रथम कुलपति, कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाएंगे तथा यह अधिकारी पाँच वर्ष के लिए इस पद पर रहेंगे ;

(ग) प्रथम कुलसचिव एवं प्रथम वित्त अधिकारी, कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाएंगे तथा यह अधिकारी तीन वर्ष के लिए इस पद पर रहेंगे ;

(घ) प्रथम कोर्ट एवं प्रथम कार्यकारी परिषद में क्रमशः तीस एवं ग्यारह सदस्यों से अधिक नहीं होंगे, जो कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाएंगे तथा उनका कार्यकाल तीन वर्ष होगा;

(ङ) प्रथम शैक्षणिक परिषद में इक्कीस से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जो कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाएंगे तथा उनका कार्यकाल तीन वर्ष होगा ;

बशर्ते कि यदि उक्त कार्यालयों या प्राधिकारण में कोई रिक्ति होती है तो कुलाध्यक्ष द्वारा यथास्थिति, नियुक्ति करके या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा जब तक वह अधिकारी या सदस्य, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति या नामनिर्देशन किया गया है, यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती तो, पद धारण करता।

संविधि, अध्यादेश एवं विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे तथा संसद के समक्ष रखे जाएंगे।

43. (1) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए, संविधि, अध्यादेश एवं नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए, संविधि, अध्यादेश एवं नियम, बनाने के तत्काल बाद शीघ्र अति शीघ्र संसद के दोनों सदनों के सामने रखे जाएंगे, जब सत्र जारी हो, संयुक्त सत्र में अथवा दो अलग-अलग सत्रों में, दोनों सदन यदि उस संविधि, अध्यादेश तथा नियम को कुछ सुधार के साथ मान्य करते हों या दोनों सदन यह मान्य करते हों कि संविधि, अध्यादेश एवं नियम न बनाए जाएं, इस मामले में संबंधित संविधि, अध्यादेश तथा नियम संशोधन के साथ ही अमल में लाये जाएंगे एवं अमान्य हों तो अमल में नहीं लाए जाएंगे, इसके बावजूद किसी पूर्वाग्रह के बिना कि मान्य हो या न हो संविधि, अध्यादेश और नियम में संशोधन किए जाएंगे।

(3) संविधि, अध्यादेश एवं नियम बनाने, उस संविधि, अध्यादेश तथा नियम को, अधिनियम के लागू होने की तिथि से पूर्व प्रभावी बनाने के अधिकार होंगे, लेकिन संविधि, अध्यादेश एवं नियम पूर्व प्रभावी नहीं होगा। इसलिए जिस व्यक्ति को लाभान्वित बनाने के लिए पूर्वाग्रह से प्रभावी संविधि, अध्यादेश व अधिनियम बनाया जाएगा, लागू होगा।